

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-194/07

संस्थित दिनांक- 22.05.2007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पिपरई
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. चतरा पुत्र बलराम कुम्हार उम्र 59 साल
2. अरविंद पुत्र चतरा कुम्हार उम्र 34 साल
3. कल्ला पुत्र चतरा कुम्हार उम्र 31 सालफौत
निवासी ग्राम भरियाखेडी
जिला- अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 30.06.2017 को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 324/34, 323/34, 325/34, 506 बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 31.03.2007 को समय 12:00 से 01:00 बजे के बीच स्थित ग्राम भरियाखेडी में लोक स्थान पर फरियादी जगदीश को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी लालाराम व जगदीश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी लालाराम व जगदीश की लातघूंसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं लालाराम को स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारिया किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.03.2007 को करीबन 12:00 से 01:00 बजे फरियादी घर के बाहर रास्तें पर बर्तन बना रहा था, फरियादी के बड़े भाई लालाराम दुकान कर रहे थे, कि चतरा, कल्ला एवं अरविंद प्रजापति लाठी लेकर आये गन्दी गन्दी गालिया देने लगे जिनसे मना की तो फरियादी के सिर में लटठ मार दिया, खून निकल आया, फरियादी का भाई लालाराम दुकान से निकलकर आया तो उसे अरविंद ने सिर में लाठी मारी खून निकल आया, रास्ते में तीनों रोककर लातघूंसों से भी मारपीट करते रहे, गांव के हल्कूराम प्रजापति, हरीओम प्रजापति ने बचाया, अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देने लगे। अभियुक्तगण फरियादीगण को पिछले 15 दिन से परेशान कर रहे थे, 8 टना दिनांक को मारपीट कर दी। जगदीश ने अपने भाई लालाराम को साथ लेकर पुलिस

थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गयी। जगदीश की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक-47/2007 अंतर्गत धारा-341, 323, 294, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त कल्ला पुत्र चतरा की मृत्यु हो जाने से दिनांक 16.07.2008 को उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर उसे फौत घोषित किया गया। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक-23.06.2017 को फरियादी जगदीश द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0सं0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को फरियादी जगदीश को उसके संबंध में लगे आरोप अंतर्गत भादवि की धारा 294, 323/34, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। आहत लालाराम (अ0सा0-9) के द्वारा स्वयं के संबंध में अभियुक्तगण पर लगे आरोप का शमन नहीं किया। इस कारण से आहत लालाराम के संबंध में अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 323/34, 325/34 के तहत विचारण जारी रहा।

04- अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 31.03.2007 को दिन में 12-01 बजे फरियादी के घर के सामने भारियाखेडी में लालाराम की मारपीट कर सामान्य आशय बनाया, और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लालाराम को स्वेच्छया उपहति एवं स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06- अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादी जगदीश प्रजापति (अ0सा0-1) सहित घटना में आहत लालाराम (अ0सा0-9) व घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षियों के रूप में हल्कूराम (अ0सा0-2) हरीओम (अ0सा0-3) व कमलाबाई (अ0सा0-4) के कथन अपने समर्थन में न्यायालय में कराये गये। फरियादी जगदीश प्रजापति (अ0सा0-1) सहित घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी हल्कूराम (अ0सा0-2) हरीओम (अ0सा0-3) व कमला बाई (अ0सा0-4) में से

किसी भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये हैं। फरियादी जगदीश प्रजापति जो कि अभियोजन घटना के अनुसार घटना में आहत हैं, एवं जिसके द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 लेखबद्ध करायी गयी है, अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करता है।

- 07- फरियादी जगदीश प्रजापति (अ०सा०-1) अपने कथनों में प्र०पी० 1 की रिपोर्ट भी पुलिस को लेख न कराना बताता है और न ही नक्शा मौका प्र०पी० 2 अपने सामने बनाया जाना बताता है। इस साक्षी यह भी कहना है कि उसका मेडीकल हुआ था परन्तु उसे चोट रास्तों में गिरने से आई थीं। यह साक्षी पुलिस को भी प्र०पी० 3 का कथन लेख कराने से इन्कार करता है। फरियादी जगदीश प्रजापति (अ०सा०-1) का यह भी कहना है कि उसे न तो घटना में कोई चोट आयी तथा इस बात का भी खण्डन किया कि आरोपी अरविंद ने उसके भाई लालाराम (अ०सा०-9) के साथ उसके सामने मारपीट कर उसे लाठी से गंभीर उपहति कारित की।
- 08- इसी प्रकार घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी हरीओम (अ०सा०-3) का कहना है कि उसके सामने कोई झगडा नहीं हुआ था वह लडाई झगडे के बाद पहुचा था। हरीओम (अ०सा०-3) मौके पर फरियादी और आरोपीगण का झगडा होना तो स्वीकार करता है परन्तु इस साक्षी के अनुसार वह घटना स्थल पर बाद में पहुंचा था। हल्कू राम (अ०सा०-9) अपने कथनों में अपने सामने कोई झगडा न होना बताता है। कमला बाई (अ०सा०-2) अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करती है। फरियादी जगदीश (अ०सा०-1) सहित हल्कूराम (अ०सा०-2) हरीओम (अ०सा०-3) व कमला बाइ (अ०सा०-4) के द्वारा न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया परन्तु इन साक्षियों ने अपने संपूर्ण परीक्षण में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये। अतः अभियोजन घटना के संबंध में अभिलेख पर मात्र लालाराम (अ०सा०-9) की साक्ष्य से शेष बचती है जो कि अभियोजन घटना प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होकर घटना में आहत भी है।
- 09- लालाराम (अ०सा०-9) का अपने कथनों में यह कहना है कि दस साल पहले ग्राम भरियाखेडी में घटना उसके घर के पास की है। वह अपने घर पर था तो अभियूक्त अरविंद लाठी लेकर आया और उसे लाठी मार दी जो उसके सिर में लगी, जिसके लगने के बाद वह बेहोश हो गया था। इस साक्षी का कहना है घटना से पहले आरोपीगण मां बहन की गाली गलौच कर रहे थे तथा घटना के बाद इलाज के लिये सरकारी अस्पताल भी गया था जहां वह बेहोश हो गया था और उसे आठ दिन बाद होश आया था।
- 10- घटना दिनांक को डाक्टर यशवंत सिंह तोमर (अ०सा०-7) के द्वारा फरियादी जगदीश (अ०सा०-1) सहित आहत लालाराम (अ०सा०-9) का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था जिसकी पुष्टि यशवंत तोमर (अ०सा०-7) ने अपने कथनों में की है। डाक्ट यशवंत सिंह

तोमर ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि दिनांक 31.03.07 को 03:30 बजे उसने आहत लालाराम का एवं 03:45 बजे फरियादी जगदीश का परीक्षण किया था और उक्त परीक्षण में उसने जगदीश (अ0सा0-1) के सिर के पैराइटल भाग में फटा घाव दाहिनी भुजा में नीलगू निशान, दाहिने हाथ की दूसरी अंगूली में पृष्ठ भाग पर खरोच व नीलगू निशान एवं बाये हाथ की दूसरी अंगूली पर नीलगू निशान की चोट पायी थी जो उसके परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर की थी इसी प्रकार डाक्टर यशवंत सिंह तोमर (अ0सा0-7) ने यह भी स्पष्ट किया है कि लालाराम (अ0सा0-9) के चिकित्सीय परीक्षण में भी उसने सिर में पैराइटल भाग पर एक फटा हुआ घाव पाया था व लालाराम के द्वारा परीक्षण के समय दो बार उल्टी भी की गयी थी तथा लालाराम की आयी उपरोक्त चोट परीक्षण के 6 घण्टे के पूर्व की थी।

- 11— यशवंत सिंह तोमर (अ0सा0-7) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण के दौरान उसके द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट प्र0पी0 7 व 8 से होती है, जिससे चिकित्सीय साक्षी के कथनों से यह तो प्रमाणित होता है कि घटना के तुरन्त बाद जगदीश (अ0सा0-1) व लालाराम (अ0सा0-9) के किये गये चिकित्सीय परीक्षण में दोनों के शरीर पर चोटों उपरोक्त अनुसार पायी गयी थी जो कि 6 घण्टे के पूर्व की थी।
- 12— जगदीश (अ0सा0-1)का हालांकि अभियोजन घटना के विरुद्ध यह कहना है कि उसे घटना में कोई चोटें नहीं आयी थी तथा उसे गिरने से चोटें आयी थी वही लालाराम (अ0सा0-9) ने भी घटना में जगदीश (अ0सा0-1) के संबंध में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं तथा लालाराम (अ0सा0-9) के द्वारा मात्र अरविंद के द्वारा उसके सिर पर लाठी का प्रहार करने की घटना अपने कथनों में बतायी गयी है। अतः ऐसे में स्वयं जगदीश (अ0सा0-1) के साथ आरोपीगण ने या उनमें से किसी में घटना दिनांक को मारपीट की कोई घटना कारित की या उक्त घटना में जगदीश (अ0सा0-1) को कोई उपहति कारित हुयी, इस संबंध में अभियोजन के समर्थन में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 13— यहा यह उल्लेखनीय है कि जगदीश (अ0सा0-1) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के बाद भी बचाव पक्ष की ओर से जगदीश (अ0सा0-1) के प्रतिपरीक्षण में सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा ली गयी है, घटना में अभियुक्त अरविंद उसके भाई कल्ला और बतुली भाई के साथ मारपीट की गयी थी जिसमें मझले और कन्हैया राम ने बीच बचाव किया था। बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये उपरोक्त जगदीश (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार भी किया है। लालाराम (अ0सा0-9) के प्रतिपरीक्षण में भी बचाव पक्ष की ओर से यह प्रतिरक्षा ली गयी है कि लालाराम (अ0सा0-9) सहित जगदीश व पप्पू ने अभियुक्त अरविंद की मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट अभियुक्त अरविंद के द्वारा की गयी है, जिसकी जानकारी साक्षी लालाराम (अ0सा0-9) ने न होना बताया है तथा बचाव पक्ष की मुख्य रूप से यह प्रतिरक्षा है कि उक्त घटना से बचने के लिये झूठी रिपोर्ट जगदीश (अ0सा0-1) की है।

- 14- बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त प्रतिरक्षा को स्थापित करने के लिये प्रकरण में बचाव साक्षी के रूप में इन्द्रभान (ब0सा0-1) एवं स्वयं अरविंद (ब0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये हैं तथा साथ ही पुलिस थाना पिपरई का अदम चैक रजिस्टर वर्ष 2004 में दर्ज अदम चैक क्रमांक 134/07 दिनांक 31.03.07 प्र0डी0 1 से प्रदर्शित कराया गया, जिसकी मूल से मिलान की गयी प्रति प्र0डी0 1 सी अभिलेख पर हैं। अरविंद (ब0सा0-2) का कहना है कि वर्ष 2007 में वह खरवाई करके खाना खाने जा रहा था, तो रास्ते में लालाराम (अ0सा0-9) जगदीश (अ0सा0-1) और पप्पू ने उसके साथ डंडो से मारपीट की थी और घटना में जब उसका भाई कल्ला और मां बतुली बचाने आयी तो उनके साथ भी मारपीट की गयी थी जिसमें मझले यादव और कन्हेयी राम ने बीच बचाव कराया। अभियुक्त अरविंद (ब0सा0-2) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि इन्द्रभान (ब0सा0-1) अपने कथनों में की है। घटना दिनांक को ही अभियुक्त अरविंद (ब0सा0-2) के द्वारा पुलिस थाना पिपरई में शाम 17:25 बजे जगदीश लालाराम व पप्पू के विरुद्ध उसके साथ व उसके भाई कल्ला और बतुली बाई के साथ मारपीट की जाने की घटना लेख करायी गयी थी, जिसकी पुष्टि अदम चैक क्रमांक 134/07 दिनांक 31.03.07 प्र0डी0 1 सी से भी होती है।
- 15- अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य के अनुसार लालाराम (अ0सा0-9) का जहां यह कहना है कि अभियुक्त अरविंद ने घटना में उसके सिर में लाठी मारकर उपहति कारित की थी, वहीं अभियुक्त अरविंद का अपने कथनों में व प्र0डी0 1 सी की रिपोर्ट के माध्यम से यह कहना है कि उसके साथ लालाराम (अ0सा0-9) जगदीश (अ0सा0-1) व पप्पू के द्वारा घटना दिनांक को मारपीट की गयी थी, जिसकी रिपोर्ट प्र0डी0 1 सी अभिलेख पर हैं। जगदीश (अ0सा0-1) ने भले ही अभियोजन घटना के समर्थन में कोई कथन न दिये हो परन्तु प्रकरण में डाक्टर वाए0 एस0 तोमर (अ0सा0-7) ने अपने कथनों से इस बात की पुष्टि की है कि घटना दिनांक 31.03.2007 को उनके द्वारा जगदीश (अ0सा0-1) व लालाराम (अ0सा0-9) का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें उनके द्वारा जगदीश और लालाराम दोनों को ही शरीर पर चोटें पायी थी, जो कि परीक्षण के लगभग छः घण्टे पूर्व की थीं, जो कि लगभग प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 में उल्लेखित घटना के आस पास के समय की हैं।
- 16- अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना से इस संबंध में कोई संशय की स्थिति नहीं रह जाती है कि दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध घटना में एक दूसरे के द्वारा उनके साथ मारपीट की जाने की घटना की रिपोर्ट लेख करायी गयी है, जिससे मौके पर अभियुक्तगण की उपस्थिति एवं फरियादी जगदीश (अ0सा0-1) व लालाराम (अ0सा0-9) की उपस्थिति व विवाद होना अभिलेख पर आयी साक्ष्य से प्रमाणित होता है। बचाव पक्ष की अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में सुझाव के माध्यम से पूर्व रूप से प्रतिरक्षा है कि अभियुक्तगण द्वारा की गयी रिपोर्ट से बचने के लिये यह झूठी रिपोर्ट फरियादी पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध लेख करायी गयी है। अतः मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया जाना है कि वास्तव में अभियुक्तगण ने घटना में लालाराम के

साथ मारपीट कर उसे सिर में सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया उपहति अथवा स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की थी अथवा नहीं।

- 17— अभिलेख पर अभियोजन घटना के समर्थन में एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में लालाराम (अ0सा0-9) की साक्ष्य अभिलेख पर है जो कि स्वयं अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहत है। लालाराम (अ0सा0-9) ने अपने मुख्यपरीक्षण में मात्र यह कथन दिये है कि उसे अभियुक्त अरविंद में सिर में लाठी मारी थी जिससे वह बेहोश हो गया था तथा अन्य अभियुक्तगण के संबंध में इस साक्षी ने कोई कथन अपने मुख्यपरीक्षण में नहीं दिये हैं। अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षविरोधी किये जाने के बाद किये गये प्रतिपरीक्षण में अभियोजन द्वारा दिये गये सुझाव का खण्डन किया है कि अभियुक्त अरविंद के साथ घटना के समय अभियुक्त चतरा और कल्ला भी मारपीट करने आये थे। अतः लालाराम (अ0सा0-9) के अनुसार मात्र उसे अभियुक्त अरविंद ने सिर पर लाठी मारी थी, जिससे अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 18— चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर वाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-7) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा दिनांक 31.03.2007 को सर्वप्रथम 03:30 बजे आहत लालाराम का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था तथा 03:45 बजे आहत जगदीश (अ0सा0-1) का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। वाये एस तोमर (अ0सा0-7) ने अपने कथनों में यह व्यक्त किया है कि लालाराम (अ0सा0-9) के चिकित्सीय परीक्षण में उनके द्वारा एक फटा हुआ घाव 4 x आधा सेंटीमीटर x आधा सेंटीमीटर का सिर के बाये पैराइटल भाग पर ताजा जमा हुआ रक्त के साथ पाया था तथा परीक्षण के समय लालाराम के द्वारा दो बार उल्टी भी की गयी थी। डाक्टर वाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-7) के साथ दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि उनके द्वारा तैयार की गयी चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी० 8 से भी होती है। डाक्टर वाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-7) के द्वारा आहत लालाराम (अ0सा0-9) व जगदीश (अ0सा0-1) का घटना दिनांक को किया गया चिकित्सीय परीक्षण एव तैयार की गयी रिपोर्ट लोक सेवक की हैसीयत से लोक कर्तव्य के निर्वाहन में किया गया कार्य है, जिसके सत्य होने की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत की जा सकती है।
- 19— अतः लालाराम (अ0सा0-9) के न्यायालीन कथन एवं डाक्टर वाये एस तोमर (अ0सा0-7) के चिकित्सीय साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को लालाराम (अ0सा0-9) का जब चिकित्सीय परीक्षण हुआ था, तो उक्त परीक्षण में लालाराम (अ0सा0-9) के द्वारा दो बार उल्टी भी की गयी थी और उसके सिर में उपरोक्त आकार का एक फटा हुआ घाव पाया गया था जो कि घटना के आस पास के समय का था। यह उल्लेखनीय है कि लालाराम (अ0सा0-9) के सिर पर घटना के आसपास के समय में चोट होने की पुष्टि होना इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकता है कि उक्त उपहति अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी थी। लालाराम (अ0सा0-9) के सिर पर चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पायी गयी चोट अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी थी

इसे स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य से ही साबित किया जा सकता है।

- 20— लालाराम (अ0सा0-9) के चिकित्सीय परीक्षण में डाक्टर वाये एस तोमर (अ0सा0-7) ने सिर की चोट को गंभीर प्रकृति का मानकर अपना अभिमत दिया हैं, परन्तु लालाराम (अ0सा0-9) के द्वारा दिया गया उपरोक्त अभिमत चिकित्सीय अभिमत हैं, जिसको विधिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना है, जिसके संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि शरीर पर कारित हुयी उपहति गंभीर प्रकृति है अथवा नहीं इसका मापदण्ड भादवि की धारा 320 की परिभाषा के अनुसार किया जाना हैं। लालाराम (अ0सा0-9) को भादवि की धारा 320 के खण्ड क्रमांक 1 से खण्ड क्रमांक 7 प्रकार की कोई उपहति डाक्टर वाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-7) ने चिकित्सीय परीक्षण में नहीं पायी है। अतः मात्र भा0द0वि0 की धारा 320 के खण्ड 8 में वर्णित प्रकार की उपहति से लालाराम (अ0सा0-9) की उपहति की तुलना की जानी हैं जिससे यह निर्धारित होगा कि वास्तव में डाक्टर वाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-7) के द्वारा लालाराम (अ0सा0-9) के सिर पर चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पायी गयी चोट गंभीर प्रकृति की थी अथवा नहीं।
- 21— भादवि की धारा 320 (8) के अनुसार ऐसी उपहति घोर उपहति कहलाती हैं जो “जीवन को संकटापित करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीडा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिये असमर्थ रहता है” निश्चित रूप से मानव शरीर के मर्म भाग पर कारित हुयी उपहति मानव जीवन को संकटापित करने वाली उपहति की श्रेणी में आ सकती है परन्तु मात्र किसी उपहति के मर्म भाग पर होने से ही उसे मानव जीवन को संकटापित करने वाली नहीं कहा जा सकता है, मानव शरीर में सिर शरीर का मर्म भाग होता है, परन्तु सिर पर मात्र मामूली कटा या फटा घाव अथवा खरोंच या नीलगू निशान कि चोट ऐसी चोट नहीं होती है जो कि मानव जीवन को संकटापित करती है शरीर के मर्म भाग पर उपहति कारित होने के साथ साथ उक्त उपहति ऐसी होनी चाहिए जिससे मानव जीवन ही खतरे में पड जाये।
- 22— डाक्टर वाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-7) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका पांच में यह व्यक्त किया है कि उन्होंने परीक्षण में लालाराम को दो उल्टिया आने के बाद यह माना था कि लालाराम मर सकता था। अतः डाक्टर वाये0 एस0 तोमर के अनुसार लालाराम (अ0सा0-9) के सिर पर पायी गयी उपहति के संबंध में उनका अभिमत गंभीर उपहति का होना लालाराम को परीक्षण में आयी उल्टियों के आधार पर है, न कि चोट के आधार पर। डाक्टर वाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-7) ने उपरोक्त अभिमत के विपरीत अपने प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि परीक्षण के समय लालाराम (अ0सा0-9) पूरे होश में था और स्वयं चलकर आया था तथा परीक्षणके बाद उसे अस्पताल में भर्ती तक नहीं किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक दशरथ (अ0सा0-6) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि फरियादी जगदीश ने दिनांक 31.03.2007 को अभियुक्तगण के विरुद्ध मारपीट व गाली-गलौच करने की एव जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी तथा उसके द्वारा जगदीश और लालाराम को स्वास्थ्य केंद्र पिपरई परीक्षण के लिये भेजा

गया था। उपनिरीक्षक दशरथ (अ0सा0-6) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 एवं मेडीकल फॉर्म प्र0पी0 8 में इस बात का कही भी उल्लेख नहीं किया कि लालाराम (अ0सा0-9) को सिर में आयी चोट गंभीर प्रकृति प्रतीत हो रही थी जिससे लालाराम (अ0सा0-9) की मृत्यु होना संभावित थीं। वाये एस तोमर (अ0सा0-7) ने भी सर्वप्रथम 03:30 बजे लालाराम (अ0सा0-9) का चिकित्सीय परीक्षण किया था परन्तु उनके द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि लालाराम (अ0सा0-9) के सिर की चोट से उसकी मृत्यु कारित होना संभावित थी। वाये एस तोमर (अ0सा0-7) ने लालाराम (अ0सा0-9) के चार बजे प्र0पी0 9 के मृत्यु पूर्व कथन लेखबद्ध किये हैं जिसका उल्लेख इस साक्षी ने अपने कथनों में भी किया है, परन्तु लालाराम (अ0सा0-9) का परीक्षण 03:30 बजे करने के बाद उनके द्वारा जगदीश (अ0सा0-1) का 03:45 बजे चिकित्सीय परीक्षण किया गया इस अवधि तक लालाराम (अ0सा0-9) के मृत्यु पूर्व कथन लिये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यदि वास्तव में लालाराम (अ0सा0-9) की सिर की चोट मृत्यु कारित होने के लिये संभाव्य होती तो उसके चिकित्सीय परीक्षण के समय प्र0पी0 9 के कथन लेख कर लिये होते, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

23— उपनिरीक्षक दशरथ (अ0सा0-6) का अपने कथनों में कहना है कि उसने फॉर्म प्र0पी0 7, 8 व 9 एक साथ भर कर चिकित्सीय परीक्षण के लिये भेजे थे परन्तु फार्म प्र0पी0 7 व 8 पर थाने का जावक क्रमांक व दिनांक तो अंकित है परन्तु लालाराम (अ0सा0-9) का मृत्यु पूर्व कथन लेने के संबंध में लिखा गया पत्र प्र0पी0 9 पर जावक क्रमांक का कोई उल्लेख नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि प्र0पी0 9 थाने से भर कर नहीं भेजा गया, जो यह दर्शित करता है कि जब लालाराम (अ0सा0-9) को थाने से चिकित्सीय परीक्षण के लिये भेजा गया था तो उपनिरीक्षक दशरथ (अ0सा0-6) के द्वारा लालाराम (अ0सा0-9) के मृत्यु कथन लिये जाने के कोई विचार नहीं किया था। प्र0पी0 8 चिकित्सीय रिपोर्ट में भी मृत्यु पूर्व कथन लिये जाने या मृत्यु की संभावना होने का कोई उल्लेख चिकित्सीय साक्षी डाक्टर वाये एस तोमर (अ0सा0-7) के द्वारा नहीं किया गया अतः ऐसे में दोनों आहतों को परीक्षण होने के बाद अचानक लालाराम (अ0सा0-9) के मृत्यु पूर्व कथन अंकित करवाना कही कही उपनिरीक्षक दशरथ (अ0सा0-6) की कार्यवाही को संदेह के घेरे में ले आता है क्योंकि इस साक्षी के द्वारा तैयार किये गये पत्रक एव न्यायालय में दिये गये कथनों में कही भी यह कहना नहीं है कि लालाराम (अ0सा0-9) को चिकित्सीय परीक्षण के लिये भेजने के समय तक उसे उसकी मृत्यु होने की संभावना थी।

24— लालाराम (अ0सा0-9) स्वयं ही पूरे होश हबाश में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराने के लिये घटना स्थल से 15 किलोमीटर दूर थाने पर पहुंचा था, तथा चिकित्सीय परीक्षण के समय भी वह पूरे होशों हबाश में था, यह उपनिरीक्षक दशरथ (अ0सा0-6) व चिकित्सीय साक्षी वाये एस तोमर (अ0सा0-7) की साक्ष्य से प्रमाणित होता है। डाक्टर वाये एस तोमर (अ0सा0-7) ने लालाराम (अ0सा0-9) के परीक्षण के उपरांत उसे आयी चोट के एक्स रे की सलाह तो दी, परन्तु अग्रिम इलाज के लिये या उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिये

कोई अभिमत नहीं दिया। डॉक्टर वाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-7) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका छः में यह व्यक्त किया है कि किसी व्यक्ति के सिर पर चोट लगने पर मृत्यु होने के लिये यह आवश्यक है कि उसके मस्तिष्क पर या मस्तिष्क की रक्त वहनियों में रक्तस्राव हो, परन्तु डॉक्टर वाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-7) ने अपने चिकित्सीय परीक्षण में आहत लालाराम (अ0सा0-9) को उक्त प्रकार की ऐसी कोई चोट थी, इसका उल्लेख न तो चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी० 8 में किया है और न ही अपने न्यायालीन कथनों में डॉक्टर वाये एस तोमर को ऐसा कहना है।

25— अतः डॉक्टर वाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-7) के द्वारा लालाराम (अ0सा0-9) के सिर पर पायी गयी चोट के संबंध में उक्त चोट गंभीर होने के संबंध में दिया गया अभिमत चोट के आकार एवं प्रकार पर आधारित न होकर मात्र आहत को परीक्षण के दौरान आयी दो उल्टियों के आधार पर है जिसके संबंध में स्वयं डॉक्टर वाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-7) अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि उल्टियां किसी कारण से आ सकती हैं। अतः एक व्यक्ति जो कि स्वयं 15 किलोमीटर दूर पूर्ण होश हबाश में थाने पर रिपोर्ट करने गया हो तथा थाने पर रिपोर्ट करने के बाद चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पूर्ण होश हबाश में हो तथा चिकित्सीय प्रतिवेदन में उसके सिर की चोट को देखते हुये उसकी मृत्यु होने की संभावना के संबंध में तथा उसके अग्रिम इलाज के लिये रैफर न किये जाने के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं परिस्थितियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लालाराम (अ0सा0-9) के सिर पर चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पायी गयी उपहति उसकी मृत्यु कारित होने के लिये अथवा मानव संकटापित करने के लिये पर्याप्त नहीं थी, मात्र किसी व्यक्ति के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान विवेचक के निवेदन पर चिकित्सक द्वारा कथन अंकित कर लेने मात्र से चोट की गंभीरता निर्धारित नहीं की जा सकती है।

26— लालाराम (अ0सा0-9) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि वह आठ दिन बाद होश में आया था उसका कही भी यह कहना नहीं है कि वह 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीडा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिये असमर्थ रहता है। वह स्वयं थाने पर एवं चिकित्सीय परीक्षण में होश हबाश में गया था उसके अस्पताल में 20 दिन तक भर्ती रहने या काम काज करने में असमर्थ रहने का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है जिससे अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से लालाराम (अ0सा0-9) के सिर पर पायी गयी उपहति भादवि की धारा 320 के तहत गंभीर उपहति की श्रेणी में न आकर धारा 319 भादवि की अंतर्गत साधारण उपहति की श्रेणी में आते हैं।

27— लालाराम (अ0सा0-9) के सिर पर चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पायी गयी। उपरोक्त उपहति अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी इस संबंध में स्वयं लालाराम असा 9 के कथन कई गंभीर तात्त्विक विरोधाभास से युक्त है तथा उसके द्वारा बतायी गयी घटना अभियोजन घटना से मेल नहीं खाती हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद लालाराम (अ0सा0-9) के पूर्व के कथनों के रूप में उसके पुलिस को दिये गये कथन अंतर्गत धारा

161 दप्रस एवं मृत्यु पूर्व कथन प्र०पी० 9 अभिलेख पर हैं। लालाराम असा 9 का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना के समय वह अपने घर पर था, तो उसे सिर में अभियुक्त अरविंद लाठी मार दी थी तथा इस साक्षी कहना है कि घर पर उसकी मां और उसके अलावा कोई नहीं था, परन्तु यही साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका तीन में घटना स्थल के बारे में यह कहता है कि घटना उसके घर के बाहर भरियाखेडी से अशोकनगर जा रहे रास्ते की है तथा घटना के समय वह अपने गांव से अपने घर आ रहा था तो पीछे से अभियुक्त ने उसे लट्ठ मार दिया था।

28—लालाराम (अ०सा०-9) एक ओर घटना के समय अपने घर पर होना तथा अभियुक्त अरविंद के द्वारा उसे घर पर आकर लाठी मारना बताया गया है, वहीं उपरोक्त कथनों से पलटते हुये यही साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में घटना स्थल भरियाखेडी से अशोकनगर के रास्ते की होना बताता है और यह कहता है कि वह अपने गांव वे घर आ रहा था तो उसे पीछे से अभियुक्त अरविंद ने लट्ठ मारा था। अतः घटना स्थल के संबंध में एवं घटना के समय यह साक्षी कहा पर था, इस संबंध में इस साक्षी के कथनों में स्पष्ट विरोधाभास देखा जा सकता है।

29—प्रकरण में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 में उल्लेखित अभियोजन घटना के अनुसार अभियुक्तगण से सर्वप्रथम विवाद जगदीश (अ०सा०-1) का हुआ था, जिसे बचाने के लिये अभियुक्त लालाराम अपनी दुकान से निकल कर आया था तब अरविंद ने उसे लाठी मारी थी। विवेचना के दौरान विवेचक बैजनाथ सिंह (अ०सा०-5) को इसी प्रकार के कथन लालाराम (अ०सा०-9) के द्वारा दिया जाना बताया गया है, जिसके संबंध में विवेचक बैजनाथ सिंह (अ०सा०-5) का कहना है कि उसने अन्य साक्षियों के साथ लालाराम के भी कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

30—अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के समय लालाराम (अ०सा०-9) अपनी दुकान पर था जो जगदीश को बचाने के लिये मौके पर पहुँचा था। लालाराम (अ०सा०-9) के कथनों में इस संबंध में भी विरोधाभास है कि वह घटना के समय वह क्या कर रहा था और घटना किस स्थान की है। लालाराम (अ०सा०-9) न्यायालीन कथनों में इस बात की जानकारी होने से इन्कार करता है कि अभियुक्त कल्ला ने उसके भाई जगदीश को लाठी से मारा था एवं अपने प्रतिपरीक्षण कण्डिका चार में भी इस साक्षी का कहना है कि जगदीश अ०सा०-1 की घटना में मारपीट हुयी थी या नहीं, उसे मालूम नहीं है, तथा यह साक्षी इस बात का भी खण्डन करता है कि अभियुक्त चतरा और कल्ला अरविंद के साथ आये थे, लालाराम (अ०सा०-9) का यह भी कहना है कि उसे यह मालूम नहीं है कि उसे अरविंद ने क्यों मारा था ? जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में तीनों अभियुक्तगण का विवाद जगदीश से प्रारंभ हुआ था जिसे बचाने में अरविंद ने उसे सिर में लाठी मारी थी।

- 31— एक व्यक्ति जो घटना स्थल पर अपने भाई को बचाने के लिये पहुच रहा हो और उसके साथ भी उसी घटना में मारपीट हुयी हो, उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह यह न बता सके की, घटना किस स्थान की है, किस बात को लेकर घटना हुयी तथा घटना में कितने अभियुक्त थे तथा वास्तव में घटना में उसके भाई के साथ मारपीट हुयी थी अथवा नहीं।
- 32— अतः लालाराम (अ0सा0-9) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन कहीं से भी अभियोजन घटना से मेल नहीं खाते हैं। यह साक्षी एक अलग ही घटना बताते हुये अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि वह भरियाखेडी से अशोकनगर के रास्ते से गावं से घर आ रहा था तो उसे अभियुक्त अरविंद ने पीछे से लटठ मारा था। जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार जगदीश का बीच बचाव कराने में उसे अरविंद ने लटठ मारा था। अभियुक्त अरविंद ने लटठ क्यों मारा इसका कोई स्पष्टीकरण लालाराम (अ0सा0-9) के पास नहीं है।
- 33— लालाराम अपने कथनों में हल्कू राम व हरीओम के संबंध में भी यह कहता है कि उसे जानकारी नहीं है ये लोग मौके पर मौजूद थे या नहीं तथा आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी या नहीं। लालाराम (अ0सा0-9) क्योंकि जीवत है इसलिए साक्ष्य की अधिनियम की धारा 32 तहत उसके कथन प्र0पी0 9 का कोई महत्व नहीं हैं, परन्तु उक्त कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत उपयोग में अवश्य लाये जा सकते हैं। घटना के तुरन्त बाद लेखबद्ध किये गये मृत्यु पूर्व कथन प्र0पी0 9 में भी यह लेख है कि घटना के समय वह घर पर था तो अभियुक्त अरविंद और कल्ला उसके घर पर आये थे, और झगडने लगे थे और अरविंद ने उसके सिर में लटठ मार दिया था। घटना के तुरन्त बाद लेखबद्ध किये गये कथन प्र0पी0 9 में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि विवाद जगदीश से हुआ था जिसे बचाने में लालाराम (अ0सा0-9) को चोट आयी थी, प्र0पी0-9 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि घटना के समय चतरा मौके पर आया था। अतः प्र0पी0-9 में दिये गये कथन एवं लालाराम अ0सा0-9 के द्वारा पुलिस को दिये गये 161 के कथनों में ही विरोधाभास की स्थिति है तथा न्यायालय में दिये गये कथन प्र0पी0-9 के कथन एवं पुलिस को दिये गये कथन अंतर्गत धारा 161 से भी विरोधाभासी हैं।
- 34— अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि लालाराम (अ0सा0-9) के घटना के तुरन्त बाद डाक्टर वाये एस तोमर (अ0सा0-7) के द्वारा लिये गये प्र0पी0 9 के कथन एवं अभियोजन कहानी में ही विरोधाभास की स्थिति है, जो कि निश्चित रूप से लालाराम (अ0सा0-9) के कथनों की विश्वसनीयता एवं उसके सिर पर पायी गयी चोट के संबंध में उसके द्वारा दिये गये कथनों को संदेहास्पद बनाता है। यदि वास्तव में लालाराम (अ0सा0-9) के साथ अभियोजन के अनुसार घटना घटित हुयी होती तो डाक्टर वाये0 एस0 तोमर अ0सा0-7 को दिये गये प्र0पी0 9 के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित घटना में इतना गंभीर विरोधाभास नहीं होता और न ही लालाराम (अ0सा0-9)

के न्यायालय में दिये गये कथन एवं प्र०पी० 9 के कथन व पुलिस को दिये गये 161 के कथनों में विरोधाभास की स्थिति होती।

- 35— एक व्यक्ति जिसके साथ घटना घटित होती है निश्चित रूप से समय के साथ उसके कथनों में मामूली विरोधाभास आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है परन्तु घटना को कितना भी समय व्यतीत हो जाये यदि वास्तव में घटना में सच्चाई होती है, तो आहत व्यक्ति यह नहीं भूल सकता है कि किस स्थान पर घटना हुयी, घटना में कौन कौन आहत थे, घटना स्थल पर वह स्वयं किस प्रकार उपस्थित हुआ तथा घटना किन किन अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयीं। लालाराम (अ०सा०-9) के कथनों में उत्पन्न हुआ उपरोक्त विरोधाभास तात्विक स्वरूप का है, जो अभियोजन कहानी की सत्यता की जड़ पर प्रहार करता है। घटना के तुरन्त बाद डॉक्टर वाये० एस० तोमर (अ०सा०-7) के द्वारा लिये गये प्र०पी० 9 के कथन अकारण ही लिये गये प्रतीत होते हैं जिसको लिये जाने का कोई विश्वसनीय आधार अभिलेख पर नहीं है तथा मात्र उक्त कथनों को लिया जाना घटना को गंभीरता प्रदान करने के उद्देश्य से लिये गये प्रकट होते हैं। प्र०पी० 9 में उल्लेखित घटना एवं प्र०पी० 1 में उल्लेखित घटना में भी अंतर होना व स्वयं लालाराम अ०सा०-9 के द्वारा उपरोक्त दोनों घटनाओं से भिन्न न्यायालय में कथन देना एवं मात्र यह कहना की अरविंद ने उसके सिर में लाठी मारी थी, से अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं होती है।
- 36— घटना में दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट की गयी है। इस प्रकरण में फरियादी जगदीश (अ०सा०-1) किसी भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है वही लालाराम (अ०सा०-9) के कथन गंभीर तात्विक विरोधाभास से युक्त हैं जिसके कारण अभिलेख पर आयी साक्ष्य से इस प्रकरण में अभियोजन घटना पर विश्वास करने का कोई आधार अभिलेख पर प्रकट नहीं होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित होगा।
- 37— किसी भी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन का अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन चिकित्सीय एवं मौखिक साक्ष्य से जहां यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि लालाराम (अ०सा०-9) को गंभीर उपहति सिर में कारित हुयी थी, वही लालाराम (अ०सा०-9) की एक मात्र साक्ष्य एवं प्रकरण में की गयी विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 31.03.2007 को दिन में 12-01 बजे फरियादी के घर के सामने भारियाखेडी में लालाराम की मारपीट कर सामान्य आशय बनाया, और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लालाराम को स्वेच्छया उपहति अथवा स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की।
- 38— फलतः अभियुक्तगण चतरा पुत्र बलराम कुम्हार, अरविंद पुत्र चतरा कुम्हार के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा- 323/34, 325/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त

आधार पर अभियुक्तगण चतरा पुत्र बलराम कुम्हार, अरविंद पुत्र चतरा कुम्हार को भा0दं0वि0 की धारा— 323/34, 325/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

- 39— अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)